क्रम-संख्या–265

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 12 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–1

संख्या 2593 / 9-1–2020-62टी0ए0-20
लखनऊ, 12 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0–404

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां या सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2–प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ–क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त

संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत बैतालपुर, जिला–देवरिया के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

नगर पंचायत बैतालपुर, जिला–देवरिया का प्रादेशिक क्षेत्र

दिशा	सम्मिलित किये गये ग्राम व उनकी गाटा संख्याएं
पूरब	1–बरारी–01 से 1130 तक 2–रूच्चापार–01 से 404 तक 3–गोविन्दपुर–01 से 470 तक 4–विशुनपुर–01 से 392 तक
पश्चिम	–
उत्तर	5–गुडरी–01 से 466 तक 6–इटवा–01 से 253 तक 7–बनकटी–01 से 273 तक 8–बलुआ–01 से 264 तक 9–सझवा–01 से 225 तक
दक्षिण	10–बेलही–01 से 307 तक 11–मुकुन्दपुर–01 से 227 तक 12–जंगल सहजौली–01 से 521 तक

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2593/IX-1–2020-62T.A.-20, dated December 12, 2020:

No. 2593/IX-1–2020-62T.A.-20
Dated Lucknow, December 12, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916) is hereby published for the information of the general public and with a view to inviting objections or suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

Draft Notification

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits of which is specified in the Schedule below, shall be a transitional area

for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Baitalpura in District Deoria.

SCHEDULE

Territorial area of Nagar Panchayat Baitalpur, District Deoria

Direction	Included Village and their Gata No.
East	1- Barari-01 to 1130 2-Ruchchapar01 to 404 3-Govindpur-01 to470 4-Vishunpur-01 to 392
West	–
North	5-Gudari-01 to 466 6-Itwa-01 to 253 7-Bankati-01 to 273 8-Balua-01 to 264 9-Sajhwa-01 to 225
South	10-Belhi-01 to 307 11-Mukundpur-01 to 227 12-Jangal Sahjauli-01 to 521

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 485 राजपत्र—2020—(1027)—599+50=649 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।

485 RPH - 2020-Nagar Vikas folder- Deoria Batalpur